कार्पोरेट गवर्नेस रिपोर्ट

कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

- 1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.
- 1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

2. बोर्ड

- 2.1 बोर्ड का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है. 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 4 पूर्णकालिक निदेशक यथा भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त 8 अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.
- 2.2 बोर्ड के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है. बोर्ड ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. बोर्ड और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है.

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और क्रमांकन

बोर्ड / सिमिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है. बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती है. बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं.

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें.

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / सिमिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त सम्बंधित कार्यवृत्त पुस्तिका में रिकार्ड किये जाते हैं. श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेस सिद्धान्तों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है. बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त बही में प्रविष्ट की जाती है.

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और सिमितयों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है. पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / सिमिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं.

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धितयों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सिम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा:

- बोर्ड एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और;
- अन्य विधिक मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइंडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले. सतर्कता आदि.

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 18 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं: -

17 अप्रैल,2014	01 नवंबर, 2014
7 मई, 2014	11 नवंबर, 2014
8 मई, 2014	5 दिसम्बर, 2014
31 मई, 2014	5 जनवरी, 2015
26 जून, 2014	27 जनवरी, 2015
31 जुलाई, 2014	28 जनवरी, 2015
1 अगस्त, 2014	26 फरवरी 2015
20 सितंबर, 2014	15 मार्च, 2015
31 अक्टूबर, 2014	16 मार्च, 2015



वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके कि वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों/ निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

निदेशकों एवं वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	बोर्ड की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (31.03.2015)
श्री अरुण तिवारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	01.07.57, 57 वर्ष	एम.एससी (केमिस्ट्री)	18	18	सीएसी-।, एमसीएम, एमसीबी, एससीआर एन्ड एलएम,डीपीसी(वी), एससीएमएफ,एसटीसीबी,सी एससीबी, एचआर, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	4
श्री एस. के. जैन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)#	05.05.54 60 वर्ष	बीएससी (आनर्स),एमए (अर्थ), सीएआईआईबी	4	4	सीएसी-।, एमसीबीएसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी,सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	लागू नहीं
श्री के. सुब्रमण्यम कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	15.07.55 59 वर्ष	बी काम (आनर्स), सीएआईआईबी(I)	18	18	सीएसी-।, एमसीबी,एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी,सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	2
श्री राकेश सेठी कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	28.06.56 58 वर्ष	बी काम, एलएलबी, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट	18	18	सीएसी-I, एमसीबी,एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर, आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	1
श्री किशोर खरात कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) \$	04.09.58 56 वर्ष	बी काम एन्ड एलएलबी	2	2	सीएसी-।, एमसीबी,एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, एसआर सी, एससीएमएफ, एसटीसीबी, सीएससीबी, एचआर,आईटी, पीएसबी द्वारा ईएसवी, आरएमसी	शून्य	शून्य



निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	बोर्ड की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (31.03.2015)
मोहम्मद मुस्तफा भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक) #	15.08.68 46 वर्ष	परास्नातक, एमए (फिलॉस्फी), आईएएस	11	4	एसीबी, डीपीसी, एनसीबी, एचआर, आरएमसी, एससीआर एन्ड एलएम, सीएससीबी, एससीएमएफ, आरसीबी	शून्य	लागू नहीं
श्री मिहिर कुमार भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक)\$	01.04.70 45 वर्ष	बी ए (आनर्स) एन्ड एलएलबी	7	3	एसीबी, एससीआर एन्ड एलएम, डीपीसी, एससीएमएफ, सीएससीबी, आरसीबी, एनसीबी, एचआर, आरएमसी	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल भारिबें नामिती (गैर कार्यपालक)	21.01.59 56 वर्ष	एमबीए एन्ड सीएआईआईबी	18	16	एमसीबी, एसीबी, डीपीसी, आरसीबी	शून्य	शून्य
श्री जगमोहन शर्मा चार्टड एकाउन्टेंट निदेशक (गैर-कार्यपालक)	29.10.49 65 वर्ष	बी काम (आनर्स), एन्ड एफसीए	18	18	एसीबी, एसआरसी	शून्य	शून्य
श्री बी. एन. भट्टाचारजी अधिकारी कर्मचारी (गैर कार्यपालक) #	31.05.54 60 वर्ष	बी. ए.एन्ड एलएलबी-I	1	1	शून्य	19	लागू नहीं
श्री एन. शंकर वर्कमैन कर्मचारी (गैर-कार्यपालक) #	20.05.58 56 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	1	1	एसआरसी	शून्य	लागू नहीं
डा. अतुल अग्रवाल अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक) #	02.08.60 54 वर्ष	बी काम, एलएलबी, एफसीए.,आईएसए (आईसीएआई) एन्ड पीएचडी	8	4	एससीबी, एसीबी, एसआरसी,सीएससीबी, आईटी, आरसीबी, एससीआर एन्ड एएलएम, पीएसबी द्वारा ईएसवी	100	लागू नहीं
श्री श्रीकांत मिश्रा अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)	8.03.55 60 वर्ष	बी कॉम.एन्ड सीए	18	15	एनसीबी, एससीआर एन्ड एएलएम, एमसीबी, आईटी, सीएससीबी	शून्य	शून्य
सुश्री अनुसुइया शर्मा अंश कालिक गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)	15.06.48 66 वर्ष	एमए,बीएड एन्ड एलएलबी	18	18	एमसीबी, एसआरसी, एनसीबी, सीएससीबी	शून्य	शून्य



निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस / आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	बोर्ड की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक (31.03.2015)
श्री डी. चटर्जी शेयर धारक (गैर कार्यपालक) @	23.08.48 66 वर्ष	बी.काम.(आनर्स)एन्ड सीए	18	15	एमसीबी, एसीबी, सीएससीबी, आरसीबी, एससीआर एन्ड एएलएम, आईटी, एसआरसी	200	12
डा. आर. एच. ढोलकिया शेयर धारक (गैर कार्यपालक)	02.04.53 61 वर्ष	अर्थशास्त्र में पीएचडी	18	16	एमसीबी, एचआर, सीएससीबी, एससीआर एन्ड एएलएम	200	3
श्री जी. के. लाठ शेयर धारक (गैर कार्यपालक)	20.08.52 62 वर्ष	बी.काम.एन्ड एफसीए	18	13	एमसीबी, सीएससीबी, एससीएमएफ, एसीबी, एससीआर एन्ड एएलएम , आरसीबी	100	शून्य

\$-नये शामिल किये गये निदेशक

- 1. श्री मिहिर कुमार को भारत सरकार द्वारा 25.11.2014 से मोहम्मद मुस्तफा के स्थान पर बोर्ड में नामांकित किया गया.
- श्री किशोर खरात को भारत सरकार द्धारा 10.03.2015 से बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रुप में नामांकित किया गया है.
 - @-बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष #-जिन निदेशकों ने अपना कार्यकाल पूरा किया
- 1. श्री बी एन भट्टाचारजी का कार्यकाल 03.05.2014 को पूरा हुआ.
- 2. श्री एन. शंकर ने 27.02.2014 से त्यागपत्र दिया तथा भारत सरकार की अधिसूचना 30.04.2014 को प्राप्त हुई.
- 3. श्री एस.के. जैन 31.05.2014को सेवानिवृत्त हुए .
- डा. अतुल अग्रवाल का कार्यकाल 21.09.2014 को पूरा हुआ.

सीएसी - साख अनुमोदन समिति एमसीबी - बोर्ड की प्रबंध समिति एसीबी - बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

एससीआर एवं - जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों

एएलएम की पर्यवेक्षी समिति

एसआरसी - बोर्ड के हितधारकों की संबंध समिति डीपीसी - निदेशकों की पदोन्नति समिति

डीपीसी(वी) - निदेशकों की पदोन्नित समिति - सतर्कता / गैर-

सतर्कता

एसटीसीबी - बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

एससीएमएफ - ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के

अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति

सीएससीबी - बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति आरसीबी - बोर्ड की पारिश्रमिक समिति एनसीबी - बोर्ड की नामांकन समिति एचआर - बोर्ड की मानव संसाधन उपसमिति

आईटी - बोर्ड की आइटी रणनीति समिति आरएमसी - वसूली प्रबंधन हेतु बोर्ड की समिति

पीएसबी द्वारा - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम

ईएसवी से शेयर धारकों का चुनाव.

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री राकेश सेठी, कार्यपालक निदेशक,सदस्य/अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशकों की संबंध समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं

-यूनियन केबीसी एएमसी प्रा.लि.-सदस्य, लेखापरीक्षा समिति

- श्री डी. चैटर्जी, निदेशक बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशकों की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता रखते हैं
- हिन्दुस्तान नेशनल ग्लास एंड इन्डस्ट्रीज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
- वेस्ट बंगाल इन्डिस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति.
- वेस्ट बंगाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लि.
 अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति.
- 4. पियरलेस फाइनेन्शियल सर्विसेज लि.- अध्यक्ष. लेखापरीक्षा समिति
- 5. टीआरएफ .लि.- अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति एवं सदस्य निवेशकों की संबंध समिति
- टेक्समैको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड होल्डिंग्स लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
- 7. दि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति डा. आर. एच. ढोलिकया, निदेशक, बैंक के बाहर निम्न लेखापरीक्षा समिति और निवेशकों की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता रखते हैं
 - 1. अडानी इन्टरप्राइजेज लि.- सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
 - 2. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं हैं.



3.10 वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है :-

31 मार्च 2014 के उपरांत बोर्ड में सम्मिलित निदेशकों की प्रोफाइल

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री किशोर खरात	56	श्री किशोर खरात ने ने 10 मार्च, 2015 को बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाला है. श्री खरात ने बैंक आफ बड़ौदा में तीन दशक से अधिक के अपने बैंकिंग कैरियर में, वैविध्यपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है जिसमें भारत तथा विदेश में ऋण प्रशासन,विदेशी व्यवसाय,सूचना तकनीक एवं सामान्य प्रशासन शामिल है.		30.09.2018	-
		श्री खरात ने ट्रिनिडाड एन्ड टुबैगो, वेस्ट इन्डीज में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक विदेशी सहायक कम्पनी स्थापित की तथा तीन वर्ष से अधिक समय तक प्रबंध निदेशक के रुप में इसके प्रमुख रहे. वह इंडिया ट्रिनिडाड एन्ड टूबैगो चैम्बर ऑफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज के संस्थापक सदस्य थे. विदेश में उनका अन्य उत्तरदायित्व शरजाह (यूएई) में था.			
		उनकी अन्तिम पदस्थी महाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन के रूप में थी जहां देश के समावेशी विकास में बैंक तथा भारत सरकार, दोनों को वित्तीय समावेशन में आगे ले जाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी. बैंक के कारपोरेट कार्यालय में वह कारपोरेट क्रेडिट कार्य भी संभाल रहे थे तथा वह कारपोरेट वित्त सेवायें विभाग, हैदराबाद के प्रमुख भी थे.			
श्री मिहिर कुमार	45	श्री मिहिर कुमार को 25 नवम्बर, 2014 से सरकार के नामित निदेशक के रुप में बोर्ड में नियुक्त किया गया है. श्री मिहिर कुमार ने 1997 में रक्षा लेखा सेवा (IDAS) में कार्य ग्रहण किया. ग्यारह वर्ष से अधिक के अपने सेवा कैरियर में श्री मिहिर कुमार ने भुगतान, लेखा तथा सशस्त्र सेनाओं के वित्तीय परामर्श से संबंधित कई दायित्व संमाले. लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के मोनक (MONUC)में वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारतीय शांति ब्रिगेड के प्रथम वित्त अधिकारी थे. श्री कुमार आईडीएएस एकेडमी-नेशनल एकेडमी ऑफ डिफेन्स फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट, पुणे में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण थे. वह ₹ 50000 करोड के रक्षा बजट वाले सभी रक्षा, विदेशी,		अगले अनुदेशों तक	-
		नुर्ण में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण थे. वह र 50000 करोड़ के रक्षी बेजट वाल सभी रक्षी, विदेशी, तेल एवं अन्य केन्द्रीय खरीद मदों के लेखा परीक्षा एवं भुगतान के द्वितीय कमान्ड थे. 25 अक्टूबर, 2012 से, वह वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में एक निदेशक हैं.			

3.11 वार्षिक साधारण बैठकः

शेयर धारकों की बारहवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 27 जून , 2014 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थेः

1.	श्री अस्म तिवारी	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री के.सुब्रमण्यम	-	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राकेश सेठी	-	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री जग मोहन शर्मा	-	निदेशक -सनदी लेखाकार
5.	श्री दीपांकर चटर्जी	-	शेयरधारक निदेशक एवं बोर्ड की लेखापरीक्ष समिति के अध्यक्ष

4. बोर्ड की समितियां

4.1 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटनः

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों तथा वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के पत्र क्र.एफ.क्र. 13/1/2006 BO.I दिनांक 10.06.2014के अनुसार किया गया है, जिसमें 6 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक(2), भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती और 2 शेयरधारक निदेशक जिनमें से एक चार्टर्ड एकाउटेंट श्री दीपांकर चटर्जी बैठकों की अध्यक्षता करते है.



4.1.2 कार्य

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कलैंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं-

- एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन,परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक /बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
- 2. एसीबी बैंक की आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली,गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष स्प्र से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है-
 - अंतर शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थित
 - धोखाधडी.
 - हाउसकीपिंग से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.
- 3. एसीबी भारिबें के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारी से छमाही रिपोर्ट और लिस्टिंग तथा अन्य सेबी दिशानिर्देशों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
- 4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम स्त्र प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
- 5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियां और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.
- 6. इसके साथ ही साथ, एसीबी प्रत्येक वर्ष व्हिसिल ब्लोअर हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है.
- 7. बैंक की सभी वित्तीय नीतियों की समीक्षा.
- प्रबंधन के फैसले की कार्रवाई के आधार पर प्रमुख लेखा प्रविष्टियों की समीक्षा.
- 9. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में परिवर्तन यदि कोई हो तो.
- लेखा मानकों के कारण लेखा परीक्षा, अनुपालन से उत्पन्न महत्वपूर्ण समायोजन.

- 11. भावी मुद्दों का अनुमान.
- 12. जमाकर्ताओं, शेयरधारकों (डिवीडेन्ड) और लेनदारों के भुगतान में चूक (जहां भुगतान में विलंब हुआ है).

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

2014-15 में समिति की 11 बैठक हुईं जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. अतुल अग्रवाल , समिति के अध्यक्ष	3	2
श्री दीपांकर चैटर्जी, सिमति के अध्यक्ष	8	8
श्री एस.के.जैन, का.नि.	2	2
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	11	11
श्री राकेश सेठी, का.नि.	11	11
श्री किशोर खरात, का.नि.	1	1
मोहम्मद मुस्मफा, सरकार द्वारा नामित	7	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित	4	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित	11	10
श्री जगमोहन शर्मा, सीए निदेशक श्रेणी	3	3
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	8	5

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1. संघटनः

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970/80 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 2007 और उसके बाद उनकी अधिसूचना क्रमांक 13/1/2006 BO-I दिनांक 14.01.2015 के द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/ कों,रिजर्व बैंक के नामित तीन निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नामित तीन और गैर-कार्यकारी निदेशक समित के सदस्य के स्प्र में शामिल हैं और बोर्ड द्वारा धारा 9(3)(ई),(एफ),(एच)एवं(आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छःमाह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

4.2.2. कार्य

बोर्ड ने प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋण समझौता/ बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों, राजस्व एवं पूंजीगत



व्ययों का अनुमोदन, परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है.

4.2.3 एम सी बी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रबंधन समिति की 26 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के	26	26
अध्यक्ष		
श्री एस.के.जैन, का.नि.	4	4
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	26	26
श्री राकेश सेठी, का.नि.	26	22
श्री किशोर खरात, का.नि.	2	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबें नामित निदेशक	26	25
श्री जगमोहन शर्मा, सीए निदेशक श्रेणी	20	20
डा. अतुल अग्रवाल, गैर सरकारी निदेशक	7	5
श्री आर. एच.ढोलिकया, शेयरधारक निदेशक	13	10
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	13	12
श्री डी.चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	13	12
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	13	8
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	14	14

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम)

4.3.1. संघटनः

इस समिति में बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य यथा: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार के नामित सदस्य तथा चार अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

4.3.2 कार्यः

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है.

4.3.3. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 में समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के.जैन, का.नि.	4	4
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित	2	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित	2	0
डा. अतुल अग्रवाल, अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशक	1	0
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	3
श्री डी.चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	4	2
श्री आर. एच.ढोलकिया, शेयरधारक निदेशक	4	3
श्री जी.के.लाठ, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	2	1

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की समिति (एसआरसी)

4.4.1 संघटनः

सूचियन करार के खंड 49(VIII) (ई) (4)में संशोधनों के अनुक्रम में, बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति को दिनांक 05.01.2015 से हितधारकों की संबंध समिति के रूप में पुनः नामांकित किया गया है. समिति में कार्यपालक निदेशक तथा तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल हैं.श्री जगमोहन शर्मा,गैर-कार्यकारी निदेशक (सीए श्रेणी) समिति के अध्यक्ष हैं.

4.4.2 कार्य

सूचियन करार के खंड 49के अनुक्रम में, बोर्ड द्वारा शेयरधारकों/निवेशकों की शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि की अप्राप्ति संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु हितधारकों की संबंध समिति का गठन किया गया है.



4.4.3 एसआरसी में उपस्थिति

2014-15 वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा. अतुल अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष	2	1
श्री जगमोहन शर्मा, समिति के अध्यक्ष	2	2
श्री एस.के.जैन, का.नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
श्री किशोर खरात, का.नि	1	1
श्री डी.चटर्जी, शेयर धारक निदेशक	4	3
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	4	4

31.3.2014 और 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारणी निम्न प्रकार है :-

विवरण	Л	समाप्त वि. वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वि. वर्ष
		के लिए	के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की	-शून्य-	-शून्य-
	लंबित शिकायतों की संख्या		
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों	766	1377
	की शिकायतों की संख्या		
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की	766	1377
	निपटाई गई शिकायतों की		
	संख्या		
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों	-शून्य-	-शून्य-
	की लंबित शिकायतों की संख्या		

सुश्री नेहा अग्रवाल, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के स्प्र में पदनामित किया गया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटनः

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं / अथवा कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक /उप महाप्रबंधक(एमडीओ) और मुख्य विधि अधिकारी शामिल हैं.

4.5.2 कार्यः

बैंक में शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण सिमति गठित की गयी है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थितिः

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 46 बैठकें आयोजित की गयां.

4.6 ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए / 2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु बोर्ड की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाऊसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. समिति से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. तथापि बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करना जारी रखेगी.

4.6.1 संघटनः

यह विशेष समिति, बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोडकर बोर्ड के दो अन्य सदस्य

4.6.2 कार्य

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹ 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकिः

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत किमयों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके.
- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके.
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई यदि कोई है तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके.



• धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थितिः

वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, समिति के	4	4
अध्यक्ष		
श्री एस.के.जैन, का.नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा	2	0
नामित		
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा	2	1
नामित		
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक	4	4
निदेशक		

4.7 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिजर्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटनः

समिति में दस सदस्य निम्नानुसार हैं:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- तीन गैर कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक स्थायी सदस्य
- विशेष आमंत्रित के स्प्र में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि

4.7.2 कार्यः

यह सिमति निम्नलिखित कार्य करती है

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतू सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान इस समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

जगरवारा के ब्यार गिनागुर	उपार्श्यात क ब्यार निम्नानुसार ह				
निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल	बैठकों में उपस्थिति			
	के दौरान सम्पन्न				
	बैठकों की संख्या				
श्री अरुण तिवारी, समिति के	4	4			
अध्यक्ष					
श्री एस.के.जैन, का.नि.	1	1			
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	4	4			
श्री राकेश सेठी, का.नि.	4	4			
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा	2	0			
नामित					
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा	2	1			
नामित					
डा.अतुल अग्रवाल, अंश कालिक	1	0			
गैर सरकारी निदेशक					
श्री एस.के.मिश्रा, अंश कालिक	4	3			
गैर सरकारी निदेशक					
सुश्री अनुसुईया शर्मा,अंश	2	2			
कालिक गैर सरकारी निदेशक					
डा. आर. एच.ढोलिकया,	4	4			
शेयरधारक निदेशक					
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक	4	2			
निदेशक					
श्री दीपांकर चटर्जी, शेयर धारक	4	3			
निदेशक					

4.8 निदेशकों को पारिश्रमिक समिति(आरसीबी)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ. दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उपसमिति बनाई गई है जिसे ''पारिश्रमिक समिति'' कहा गया है

4.8.1 संघटनः

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.



4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान इस समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या (25.07.14)	बैठकों में उपस्थिति (25.07.14)	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या (26.02.15)	बैठकों में उपस्थिति (26.02.15)
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक, समिति के अध्यक्ष	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक, समिति के अध्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
श्री दीपक सिंघल, भारिबें नामित निदेशक	1	1	1	1
डा. अतुल अग्रवाल, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी. चॅटर्जी, शेयरधारक निदेशक	1	0	1	1
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	0	0	1	1

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी)

बेंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (उएए) एवं (उएबी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट ''योग्य एवं उपयुक्त'' मानदंड निर्धारित किए हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए ''योग्य एवं उपयुक्त'' मानदंडों पर क्र.डीबीओडी क्र.बीसी.क्र. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक के साथ पढे गये परिपत्र डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 46 तथा डीबीओडी सं.बीसी नं.47/29.39.001/2007-08 दोनों दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

आगे, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन क्र.16/83/2013-BO.I दिनांक 03.09.2013 के माध्यम से ने अपेक्षा व्यक्त की है कि अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों की स्थिति को शेयरधारक निदेशक के चयन हेतु ''योग्य एवं उपयुक्त'' को रखे जाने के संबंध में दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 को ध्यान में रखा जाय. उपरोक्त दिशानिर्देशों को अधिसूचना एफ क्र. 16/51/2012-BO.I दिनांक 28.04.2015 के द्वारा पुनःसंशोधित किया गया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया है.

4.9.1 संघटनः

- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक
- भारिबैं के पत्र क्र.12558/08.21.006/2010-11 दिनांक 08.02.2011
 के अनुसार भारिबैं का नामित निदेशक इस समिति से संबंधित नहीं हो सकता.

4.9.2 कार्य

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की ''योग्य एवं उपयुक्त'' स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) क्षेत्र एवं विशेषज्ञता का अनुभव (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रस्त में अपने कर्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें तािक इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2014-15 के दौरान एक बैठक संपन्न हुईं, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
मोहम्मद मुस्तफा, समिति के अध्यक्ष	1	1
श्री श्रीकान्त मिश्रा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1
सुश्री अनुसुईया शर्मा, अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक	1	1

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक



4.10.2 कार्य

यह सिमिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नित के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

वर्ष 2014-15 में समिति की एक बार बैठक हुईं जिसमें उपस्थिति इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , अध्यक्ष	1	1
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा	1	1
नामित निदेशक		
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित	1	1
निदेशक		

4.11 निदेशकों की पदोन्नित समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटनः

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के स्म में उपस्थित रहते हैं.

4.11.2 कार्य

यह सिमिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की सिमीक्षा करती है.

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2013-14 के दौरान 3 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , अध्यक्ष	3	3
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री दीपक सिंघल, भारिबैं नामित निदेशक	3	3

4.12 बोर्ड की एचआर उप समिति

4.12.1 संघटन

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक होते हैं.इसके अतिरिक्त,मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं.

4.12.2 कार्य

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण और समीक्षाः

- 1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली. प्रक्रिया और संरचना
- बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
 - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
- बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुस्स एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार व प्रोत्साहन
 - पदोन्नति
 - तैनाती

4. प्रशिक्षण

- विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
- सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण /पूनश्चर्या
- एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

4.12.3 बोर्ड की एचआर उप समिति की उपस्थिति

वर्ष 2014-15 में समिति की 4 बैठकें हुईं जिनमें उपस्थिति इस प्रकार थीः

उनके कार्यकाल	बैठकों में उपस्थिति	
के दौरान सम्पन्न		
बैठकों की संख्या		
4	4	
1	1	
4	2	
4	4	
2	1	
2	1	
4	4	
	के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या 4 1 4 4 2	



4.13 बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

आईटी सुशासन उपायों के अंश के रम्म में भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की रणनीति से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है.

4.13.1 संघटन

समिति में होंगे

- कार्यपालक निदेशकगण
- दो स्वतंत्र निदेशक जिनमें एक समिति का अध्यक्ष होगा.
- बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख महा प्रबंधक)

4.13.2 कार्य

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धित का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी के निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुस्प रहे और बजट स्वीकार करने योग्य हो.
- रणनीति उदेश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्त्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में विरष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदा.जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्त्रोतों के बारे में)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आय से अधिकतम लाभ मिलता हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पयर्वेक्षण

- और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन है.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुस्म लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना

4.13.3 बोर्ड की आईटी रणनीति बैठक में उपस्थिति

2014-2015 के दौरान समिति की 5 बैठकें की गई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डा.अतुल अग्रवाल, समिति के अध्यक्ष	3	3
श्री श्रीकान्त मिश्रा, समिति के अध्यक्ष	2	2
श्री एस के जैन,कानि	2	2
श्री के. सुब्रमण्यम, कानि	5	5
श्री राकेश सेठी, कानि	5	5
श्री किशोर खरात , कानि	1	1
श्री डी चटर्जी, शेयरधारक निदेशक	5	5

4.14 अंशधारक निदेशकों के चुनाव के लिए बोर्ड की समिति - सार्वनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मतदान (पीएसबी द्वारा इएसवी)

भारत सरकार, जो बड़ी अंशधारक है, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है क्योंकि वित्त मंत्रालय के पत्र क्रमांक 16/11/2012-BO-1 दिनांकित 03 अपैल,2012 द्वारा जारी नोटीफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है. अतः मंत्रालय ने बैंकों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की समिति गठित करने की सलाह दी है. आगे सूचित किया जाता है कि समिति में सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक नहीं रहेंगे.

4.14.1 संघटनः

समिति के संगठन में :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

4.14.2 कार्य

संदर्भ की शर्तें शिक्षा, अनुभव, प्रोफाईल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार किया जाएगा एवं प्रतिभागियों के चुनाव में निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही, पीएसबी के अंशधारक निदेशक के चुनाव के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा.



4.14.3 अंशधारक निदेशकों के चुनाव के लिए बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थिति - सार्वनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा मतदान.

आवश्यकता के अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी. चूँिक इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही अतः वर्ष 2014-15 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

4.15 वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसी)

27.11.2012 को भारत सरकार के उक्त विषयक पत्र क्रमांक F.No.7/112/2012-BOA दिनांकित 21 नवम्बर,2012 के अनुसार वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तरीय उप समिति का गठन किया गया.

यह भी सूचित किया गया कि नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को बोर्ड स्तरीय उप समिति का गठन करना चाहिए जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक एवं भारत सरकार नामित निदेशक होंगे एवं यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

4.15.1 संघटनः

समिति के संगठन में :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- कार्यपालक निदेशक
- भारत सरकार नामित निदेशक

4.15.2 **कार्य**

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करना.

4.15.3 वसूली प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थिति

2014-2015 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रहीः

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री एस.के.जैन, का. नि.	1	1
श्री के. सुब्रमण्यम, का. नि.	4	2
श्री राकेश सेठी, का. नि.	4	3
श्री किशोर खरात, का.नि.	1	1
मोहम्मद मुस्तफा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री मिहिर कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2

4.16 ऋण अनुमोदन समिति - I (सीएसी-I)

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के गजट नोटीफिकेशन क्रमांक SO.2736(E) दिनांकित 5 दिसम्बर, 2011 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.01.2012 को आयोजित बोर्ड की बैठक में केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर ऋण अनुमोदन समिति के गठन का अनुमोदन किया गया. सीएसी (ऋण अनुमोदन समिति - I) का परिचालन अप्रैल, 2012 से प्रभावी हुआ.

4.16.1 संघटनः

सीएसी का संगठन निम्नानुसार है:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अनिवार्य रुप से)
- कार्यपालक निदेशकगण (अनिवार्य रुप से कम से कम एक)
- महाप्रबंधक ऋण
- महाप्रबंधक वित्तीय आयोजना एवं निवेशक संबंध (सीएफओ)
- महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन (अनिवार्य स्म से)

4.16.2 कार्य

- निधि आधारित/गैर निधि आधारित ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत करना
- ऋण समझौता/अपलिखित प्रस्ताव

4.16.3 ऋण अनुमोदन समिति - । की बैठक में उपस्थिति

2014-2015 के दौरान समिति की 34 बैठकें आयोजित की गईं और निम्नानुसार उपस्थिति रहीः

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी , समिति के अध्यक्ष	34	34
श्री एस.के.जैन, का.नि.	6	5
श्री के. सुब्रमण्यम, का.नि.	34	28
श्री राकेश सेठी, का.नि.	34	29
श्री किशोर खरात, का.नि.	3	3
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन)	34	29
सीएफओ	34	30
महाप्रबंधक (ऋण)	34	34



5. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
असाधारण सामान्य बैठक	20 मार्च, 2012 प्रातः11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	26 जून, 2012 प्रातः10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2012 दोपहर 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	16 मार्च, 2013 प्रातः10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
ग्यारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2013 दोपहर 3.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
असाधारण सामान्य बैठक	14 दिसम्बर, 2013 प्रातः10.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2014 प्रातः11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

सामान्य बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत विशेष संकल्पों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

20 मार्च, 2012 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक. विशेष संकल्पः

- क) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/-(रमये दस मात्र) अंकित मूल्य के 1,43,11,631 (एक करोड़ तैंतालीस लाख ग्यारह हजार छ सौ इकतीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 355 करोड़ (तीन सौ पचपन करोड़ मात्र) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना और
- ख) सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 2,62,16,620 (दो करोड़ बासठ लाख सोलह

हजार छ सौ बीस) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 248.05 की दर से कुल मिलाकर ₹ 650.30 करोड़ (छः सौ पचास करोड़ तीस लाख मात्र)नकद के बदले वरीयता आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की विभिन्न योजनाओं को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना. उक्त संकल्प के अनुक्रम में बैंक को केवल एलआईसी से आवेदन राशि प्राप्त हुई थी तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को 30 मार्च,2012 को 2,62,16,620 शेयर जारी तथा आबंटित किये गये हैं.

5.2 16 मार्च, 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक .

विशेष संकल्पः

भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी (आईसीडीआर) विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 4,62,45,174 (चार करोड़ बासठ लाख पैंतालीस हजार एक सौ चौहत्तर) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹ 240.89 की दर से कुल मिलाकर ₹ 1,114 करोड़ (एक हजार एक सौ चौदह करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

आर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के रस में परिभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना है, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमित दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹ 1386 करोड़ (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और /या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

उपर्युत्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 4,62,45,174 शेयर जारी किये गये तथा दिनांक 21 मार्च, 2013 को भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया.

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक क्यू आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए लिया गया जो बैंक के हित में होगा. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.



5.3 14 दिसम्बर, 2013 को हुई असाधारण सामान्य बैठक.

विशेष संकल्प:

भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

- क) सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹ 10/-(रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 3,35,12,064 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार चौंसठ) इक्विटी शेयर प्रीमियम ₹ 139.20 के साथ ₹ 149.20 पर कुल मिलाकर ₹ 500 करोड़ (₹ पांच सौ करोड़) नकद के बदले वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.
- ख) ₹10/- प्रत्येक वाले 74,39,678 (चौहत्तर लाख उनतालीस हजार छै सौ अठहत्तर) ₹ 139.20 प्रीमियम के साथ ₹ 149.20 परिवर्तन मूल्य पर सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार परिवर्तन के द्वारा कुल ₹ 111 करोड़ (₹ एक सौ ग्यारह करोड़) के 11.10 करोड़ पी.एन.सी.पी.शेयर्स को परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना. जारी करना और आबंटित करना.

आर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में आईता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के रुप्त में पिरेमाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना हैं, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमित दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹ 1386 करोड़ (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मृल्य का निधारण किया गया हो.

उपर्युक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 3,35,12,064 शेयर जारी किये गये तथा दिनांक 21 दिसम्बर, 2013 को भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया. पी. एन. सी. पी. शेयर्स के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से बैंक

पी. एन. सी. पी. शेयर्स के परिवर्तन के लिए भारत सरकार से बैंक को दिनांक 27 जून, 2014 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक तक अनुमोदन नहीं मिला था अतएव पी.एन.सी.पी.शेयर्स के वरीयता के आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों में स्नजन,निर्गम,एवं आबंटन हेतु उक्त बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन लिया गया था. दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अविध तक क्यू.आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए लिया गया जो बैंक के हित में होगा. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का

प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

5.4 27 जून, 2014 को हुई वार्षिक सामान्य बैठक विशेष संकल्पः

भारत सरकार को वरीयता आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

सेबी(आईसीडीआर)विनियम के विनियम 76(1) के अनुसार ₹10/- (रुपये दस मात्र) अंकित मूल्य के 5472563 (चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) तक इक्विटी शेयर सृजित करने और ₹192.83 की प्रिमीयम सिहत ₹ 202.83 की दर से ₹ 111 करोड (₹ एक सौ ग्यारह करोड) के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों को परिवर्तन के द्वारा वरीयता आधार पर भारत सरकार को प्रस्ताव करना, जारी करना और आबंटित करना.

आर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना

आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII के तहत अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के द्वारा आईसीडीआर विनियम के खण्ड VIII में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं के रूप में पिरेभाषितों को बैंक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी तथा आबंटन करना हैं, भले ही वे बैंक के शेयर धारक हों या नहीं, जैसा भी लागू कानूनों तथा विनियमों के अनुसार बोर्ड के विवेकानुसार निर्णय लेकर अनुमित दी जाती है. यह राशि एक या अधिक बार में समग्र रूप से ₹ 1386 करोड़ (₹ एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) से अधिक न हो, बोर्ड के विवेकानुसार ऐसे शर्तों और निबंधनों के अधीन निवेशकों के संवर्ग के लिए निर्धारित, बाजार में प्रचलित दशा तथा अन्य परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए तथा जहां भी आवश्यक हो लीड प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या सलाहकारों की सलाह लेकर प्रीमियम के साथ मूल्य का निधारण किया गया हो.

दिनांक 12.09.2014 के उपर्युत्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार से बैंक को आवेदन राशि प्राप्त हुई तथा 54,72,563(चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) शेयर ₹ 192.83 की प्रिमीयम सहित ₹ 202.83 की दर से ₹ 111 करोड (₹ एक सौ ग्यारह करोड) के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों का परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया

दूसरा संकल्प, इस संकल्प की तारीख से एक वर्ष की अविध तक क्यू आई.पी. के माध्यम से पूंजी वृद्धि के लिए लिया गया जो बैंक के हित में होगा. इस प्रकार से की गई पूंजी वृद्धि से प्राप्त निधियों का प्रयोग बैंक की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाने और बैंक के सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा. इस संकल्प के तहत बैंक ने अब तक कोई पूंजी प्राप्त नहीं की है.

6. प्रकटनः

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं



विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है. सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं.

i. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्ते राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबें की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17(1)/16(1) की शर्तों के अनुसार किया जाताः

 बैठक में भाग लेने की फीस (अधिसूचना क्र.15/1/2011-B.O.I दि. 18/10/2011):

बोर्ड की बैठकें - ₹ 10,000/- प्रति बैठक. समिति की बैठकें - ₹ 5,000/- प्रति बैठक.

2. यात्रा एवं विराम भत्ताः

अपने लिये पात्र फीस के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को खंड 17(2)/16(2) की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय,यदि कोई हो, का समय -समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

ii. महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो. वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ.

सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम

आलोच्य वर्ष में बैंक ने ₹ 10/- मूल्य के 5472563(चौवन लाख बहत्तर हजार पांच सौ तिरसठ) शेयर ₹ 202.83(प्रति इक्विटी शेयर ₹ 192.83 प्रीमियम सिहत) भारत सरकार को परिवर्तन के आधार पर आवंटित ₹ 111 करोड (₹ एक सौ ग्यारह करोड)के कुल 11.10 पीएनपीसी शेयरों का परिवर्तन के द्वारा भारत सरकार को अंशों का आबंटन किया गया. परिणामस्वरुप, सरकार की अंशधारिता

60.13% से बढ़ कर 60.47% हो गयी है.. परिवर्तन के उपरान्त ,बैंक की चुकता पूंजी ₹630.31 से बढ़ कर ₹635.78 करोड़ हो गयी है. परिर्वतन का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात विशेष कर सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात को सुदृढ़ करने के लिये पूंजी में वृद्धि करना था.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टियर । एवं टियर ॥ पूंजी)की प्रकृति के असुरक्षित अपरिवर्तनीय बांड जारी किये हैं. इससे संबंधित सूचना रिपोर्ट के पैरा 8.1 में दी गयी.

iv. दंड एवं आक्षेप

गत 3 वर्ष के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

v. गुप्त सूचना नीति

बेंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है. लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

vi. महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति

सूचीयन करार के खंड 49 (V) (डी) के अनुपालन में बैंक ने महत्वपूर्ण सब्सिडियरी निर्धारण की नीति निरुपित की है तथा इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/ MaterialSubsidiaryPolicy.pdf

vii. संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरुपित की गयी है. इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

http://www.unionbankofindia.co.in/pdf RelatedPartyTransactionPolicy.pdf

vi. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सिंहत फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

8. शेयरधारकों की सूचना

8.1 बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानसार है -

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज	532477
लिमिटेड(बीएसई)	
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया	UNIONBANK-EQ
लिमिटेड (एनएसई)	



वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30 अप्रैल, 2015 से पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रोमीसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रस्र में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी केए हैं. 31 मार्च 2015 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

शृंखला	मात्रा (₹करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X-प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थाई	9.45 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टीयर -II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 10 वर्ष के उपरांत 9.45	आईएनई 692A09126
XI- लोअर टियर II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI- द्वितीय खंड	200	12.12.2007	स्थाई	9.90 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	स्थाई	11.15 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 11.65 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159
XII लोअर टियर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टियर II	200	23.12.2008	23.12.2008	9.50	आईएनई 692A09175
XII लोअर टियर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183
XII स्थाई	140	30.03.2009	स्थाई	9.10 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.60 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV-ए स्थाई	200	16.06.2009	स्थाई	8.85 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.35 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV- बी अपर टियर II	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	8.65 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.15 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217
XIV-सी अपर टियर II	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	8.55 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 9.05 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09225
XV-ए अपर टियर ॥	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	8.48 10 वर्ष तक 10 वर्ष के उपरांत 8.98 यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09233
XVI- बी लोअर टियर II	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90	आईएनई 692A09241
XVII-ए	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80	आईएनई 692A09266
कुल	8540				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान 30 अप्रैल, 2015 से पूर्व कर दिया है.

8.3 लाभांश

बैंक के बोर्ड ने 12 मई, 2015 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कुल 60% अर्थात् ₹ 6/- प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है.



8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	12 मई, 2015
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि. 26 जून, 2015 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुन्दरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	29 मई 2015 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	20 जून, 2015 से 26 जून, 2015
लाभांश के भुगतान की तिथि	6 जुलाई, 2015

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	01 अगस्त, 2015
30 सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	31 अक्टूबर, 2015
31 दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	28 जनवरी, 2016
31 मार्च, 2016 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	12 मई, 2016

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के सभी शेयरों का अंतरण उचित दस्तावेजों के साथ इनके दाखिल किये जाने के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाता है. हितधारकों की शिकायतों के निवारण के अनुश्रवण एवं समीक्षा के लिए बैंक ने हितधारकों की संबंध समिति तथा शेयर अंतरण एवं अन्य मामलों पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया है.

बैंक ने शेयर निर्गम से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरों, लाभांश के अंतरण,शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करने,शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण की प्रक्रिया करने के लिये अधिदेश सहित मेसर्स डाटामैटिक्स फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड को अपना पंजीयक एवं अन्तरण एजेन्ट नियुक्त किया है. निवेशक अन्तरण विलेख/अनुरोध /शिकायत पंजीयक एवं अंतरण एजेन्ट के नीचे दिये गये पते पर दर्ज करा सकते हैं.

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कम्पनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं. सूचीबद्धता करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia. com हैं..

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट	निवेशक सेवाएं प्रभाग
डाटामैटिक्स फाइनेन्शियल सर्विसेज	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
लि.	12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,
प्लॉट नं बी-5 पार्ट बी, क्रॉस लेन,	239, विधान भवन मार्ग,
एमआईडीसी,मरोल,	नरीमन पॉइंट,
अंधेरी (पूर्व),	मुंबई - 400 021.
मुंबई - 400 093.	फोन -(022) 2289 6643/36
फोन -(022) 66712151-60	फैक्स -(022) 22025238
फैक्स -(022) 28213404	ई-मेलः investorservices@
ई-मेलः ubiinvestors@dfssl.com	unionbankofindia.com

बैंक ने अपने वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है. इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है.

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

- l. छमाही कार्यनिष्पादन
- ॥. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुस्प्र कारपोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना

8.6 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमैट स्प्र में ही होता है. बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, INE 692 A01016 है.

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रुप्त में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का व्यापार केवल डीमैट के रुप्त में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगी. 31.03.2015 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रुप्त में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:-



	शेयर धारकों की	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का
	संख्या		%
भौतिक	61,774	1,37,02,216	2.15
डीमैट			
एनएसडीएल	1,04,436	22,16,30,983	34.86
सीडीएसएल	68,704	40,04,45,637	62.99
कुल	2,34,914	63,57,78,836	100.00

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित गूंजी से मिलान होता है.

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच)अन्तर बैंक, उच्च मूल्य,इलेक्ट्रानिक संव्यवहार के लिये वेब आधारित सल्यूशन है तथा इसका उपयोग थोक में अनुदान, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के संवितरण के लिये किया जा सकता है.बैंक द्वारा शेयरधारकों को एनएसीएच की सेवायें संबंधित शेयरधारक के खाते में जमा प्राप्त करने के लिये प्रदान की जाती हैं.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका भी अपनाया है -

ऐसे शेयरधारकों, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं, के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना.

लाभांश मैंडेट फार्म हमारी वेबसाइट <u>www.unionbankofindia.co.in</u> पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है.


लाभांश की राशि उनके खातों में आसानी से जमा करने के लिए, अंशधारकों से निवेदन है कि सही तथा पूरा खाता नंबर, बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट या डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) जैसा भी मामला हो, के पास अद्यतन करवा लें. सही और पूरा खाता नंबर उपलब्ध न होने की दशा में, अंशधारक द्वारा उपलब्ध करवाए गये खाता क्रमांक को प्रिंट कर भौतिक लाभांश वारंट जारी करना होता है.

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेनसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल, 14	160.45	133.00	1,14,91,057	160.60	132.55	10,05,12,515	22939.31	22197.51
मई, 14	238.00	132.30	2,18,00,756	238.00	132.40	16,51,52,665	25375.63	22277.04
जून, 14	259.60	206.90	1,45,56,221	259.65	206.50	11,89,69,197	25725.12	24270.20
जुलाई, 14	244.20	181.80	1,13,98,167	243.90	181.45	9,41,84,208	26300.17	24892.00
अगस्त, 14	224.65	185.80	1,25,54,941	224.75	185.60	10,64,57,875	26674.38	25232.82
सितम्बर, 14	225.25	182.30	1,25,00,740	225.30	182.40	9,71,58,451	27354.99	26220.49
अक्टूबर, 14	233.70	185.50	1,01,26,659	233.80	185.35	750,06,606	27894.32	25910.77
नवम्बर, 14	228.70	200.15	96,43,371	228.90	200.10	6,84,66,323	28822.37	27739.56
दिसम्बर, 14	243.90	204.15	1,61,63,936	243.80	204.00	10,87,05,541	28809.64	26469.42
जनवरी, 15	253.50	206.05	1,02,33,377	253.50	205.95	8,54,36,414	29844.16	26776.12
फरवरी, 15	214.15	165.60	1,64,85,609	253.50	205.95	8,54,36,414	29560.32	28044.49
मार्च, 15	182.15	154.35	1,19,63,958	183.00	154.10	6,45,80,106	30024.74	27248.45
31.03.2015 को अन्तिम मूल्य	₹ 156.70			₹ 156.50				
बाजार पूंजीकरण	₹ 9962.65 crore		е	₹ 9949.94 crore				

^{*} Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)





8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 38.44 करोड़ शेयरों की है, जो ₹ 635.78 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹ 384.44 करोड़ है. दिनांक 31.3.2014 तथा 31.3.2015 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार हैं:

		यथा 31/	03/2015			यथा 31/	03/2014	
शेयरधारिता	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारिता	कुल का %
500 तक	210801	89.74	29770207	4.68	213156	89.20	30611515	4.86
501 से 1000	17863	7.60	12061635	1.90	18899	7.91	12771381	2.03
1001 से 2000	4036	1.72	5664760	0.89	4296	1.80	6052568	0.96
2001 से 3000	879	0.37	2198122	0.35	1015	0.42	2545714	0.40
3001 से 4000	328	0.14	1174881	0.18	387	0.17	1373764	0.22
4001 से 5000	179	0.08	829214	0.13	246	0.10	1145975	0.18
5001 से 10000	338	0.14	2448183	0.39	415	0.17	2946654	0.47
10001 से अधिक	490	0.21	581631834	91.48	544	0.23	572858702	90.88
कुल	234914	100.00	635778836	100.00	238958	100.00	630306273	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹ 10/- है.



8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2014 तथा 31.03.2015 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:-

	यथा 31/	03/2015	यथा 31/	03/2014
शेयरधारक की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	38,44,44,316	60.47	37,89,71,753	60.13
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/एनआरआई)	5,54,14,933	8.72	5,41,30,826	8.59
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	7,38,22,366	11.61	7,02,67,222	11.15
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	4,22,85,093	6.65	3,45,05,926	5.47
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	2,33,89,452	3.68	3,31,54,868	5.26
निवासी भारतीय	5,64,22,676	8.87	5,92,75,678	9.40
कुल	63,57,78,836	100.00	63,03,06,273	100.00

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2015 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का %
1	भारत के राष्ट्रपति	384444316	60.47
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	68222093	10.73
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- खाता एचडीएफसी मिड-कैप ऑपारचुनिटीज फंड	20572658	3.24
4	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	7234026	1.14
5	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	7049911	1.11
6	आईसीआई प्रुडेन्शियल बैलेन्स्ड एडवान्टेज फंड	5786256	0.91
7	यूटीआई मिड-कैप फंड	4082357	0.64
8	कैलिफोर्निया पब्लिक इम्प्लाईज रिटायरमेन्ट सिस्टम मैनेज्ड बाई ऐरोस्ट्रीट कैपिटल, एल.पी.	3919034	0.62
9	डीएसपी ब्लैकरॉक इंडिया टी.आई.जी.ई.आर. फंड	2937238	0.46
10	मैक्वायर इमर्जिंग मार्केट्स एशियन ट्रेडिंग पीटीई. लि.	2932000	0.46
	कुल	507179889	79.78



8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का	दावा करने की अंतिम तिथि
	%	
लाभांश 2007-08	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09	50%	02.08.2016
लाभांश 2009-10	55%	09.08.2017
लाभांश 2010-11	80%	08.08.2018
लाभांश 2011-12	80%	06.08.2019
लाभांश 2012-13	80%	06.08.2020
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	14.02.2021
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	08.07.2021

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रिजस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रास्त्र बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयरः

ए) डीमेट रूप में

सूचीयन करार के खंड 5 ए -॥ अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धित, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धित का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2014 को शेष	233	28781
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2015 को डीमैट उचंत खाते में शेष	233	28781

ऊपर बताए गए 28781 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में :

सूचीयन करार के खंड 5 ए -II अर्थात् अदावाकृत भौतिक शेयरों के लिए एकसमान पद्धित, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धित का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2014 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2015 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.



9. सूचीबद्ध करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1.	बोर्ड एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमित होगी.	बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अतः यह खंड लागू नहीं होता है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
3.	लेखापरीक्षा में किमयां कंपनी बिना किमयों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
4.	अध्यक्ष एवं सीईओ के अलग-अलग पद कम्पनी द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ सीईओ नियुक्त किया जा सकता है .	लागू नहीं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.
5.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखपरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

10. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा अपने सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(अरुण तिवारी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 12 मई, 2015



CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1.1 Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.
- 1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders' wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

2. BOARD OF DIRECTORS

- 2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. As on 31/03/2015, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and three Executive Directors appointed by the Government of India besides eight part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.
- 2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control & sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meets at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board/Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by structured agenda. The agenda along with the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording minutes of the proceedings

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meetings are recorded in the respective minutes book. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus.

3.4 Follow-up mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions/minutes of the previous meeting(s) is placed to the Board/Sub Committee of the Board at the next meeting.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:

- Procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- · Relation with shareholders and customers
- · Disclosures to public at large
- Corporate social responsibility and
- Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct, Insider Trading, Staff Matters, Vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review 18 Board Meetings were held on the following dates: -

17 th April 2014	1st November, 2014
7 th May, 2014	11 th November, 2014
8 th May, 2014	5 th December, 2014
31st May, 2014	5 th January, 2015
26 th June, 2014	27 th January, 2015
31 st July, 2014	28 th January, 2015
1 st August, 2014	26 th February, 2015
20th September, 2014	15 th March, 2015
31st October, 2014	16 th March, 2015

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, details of other Board Committees where he is a Member during the year, details of shareholding and directorship of other companies/corporations are furnished hereunder: -



Details of Directors and meetings held during 2014-15

Name of the Director	DOB/Age	Qualification	No. of Board	Meetings	Member of Board	Share-	Other
& Category	(years)		meetings held	attended	Committees	holding	Director-
			during their				ship (as on
			tenure				31.03.2015)
Shri Arun Tiwari	01.07.57	M. Sc.	18	18	CAC-I, MCB, SCR &	Nil	4
CMD (Executive)	57 years	(Chemistry)			ALM, DPC, DPC(V),		
					SCMF, STCB,		
					CSCB,HR, ESV by		
					PSBs, RMC		
Shri S. K. Jain	05.05.54	B.Sc. (Hons),	4	4	CAC-I, MCB, ACB,	Nil	N.A.
Executive Director	60 years	M.A (Eco) &			SCR & ALM,		
(Executive) #		CAIIB			SRC, SCMF,		
					STCB,CSCB,HR,IT,		
					ESV by PSBs, RMC		
Shri K. Subrahmanyam	15.07.55	B.Com.(Hons)	18	18	CAC-I, MCB, ACB,	Nil	2
Executive Director	59 years	& CAIIB (I)			SCR & ALM,		
(Executive)					SRC, SCMF,		
					STCB,CSCB,HR,IT,		
					ESV by PSBs, RMC		
Shri Rakesh Sethi	28.06.56	B. Com, LLB	18	18	CAC-I, MCB, ACB,	Nil	1
Executive Director	58 years	& Diploma			SCR & ALM,		
(Executive)		in Personnel			SRC, SCMF,		
		Management			STCB,CSCB,HR,IT,		
Shri Kishor Kharat	04.09.58	B. Com & LLB	2	2	ESV by PSBs, RMC CAC-I, MCB, ACB,	Nil	Nil
Executive Director		B. COIII & LLB	2		SCR & ALM,	INII	INII
(Executive) \$	56 years				SRC, SCMF,		
(Executive) \$					STCB,CSCB,HR,IT,		
					ESV by PSBs, RMC		
Mohammad Mustafa	15.08.68	Post	11	4	ACB,DPC,	Nil	N.A.
Government Nominee	46 years	Graduation,			NCB, HR, RMC,SCR		
(Non-Executive) #		M. A.			& ALM, CSCB, SCMF,		
,		(Philosophy)			RCB		
		& IAS					
Shri Mihir Kumar	01.04.70	B.A (Hons.) &	7	3	ACB,SCR & ALM,	Nil	Nil
Government Nominee	45 years	LLB			DPC, SCMF, CSCB,		
(Non-Executive) \$					RCB,NCB,HR,RMC		
Shri Deepak Singhal	21.01.59	MBA & CAIIB	18	16	MCB,ACB, DPC, RCB	Nil	Nil
RBI Nominee	56 years						
(Non-Executive)							
Shri Jag Mohan	29.10.49	B. Com	18	18	ACB ,SRC	Nil	Nil
Sharma	65 years	(Hons.) & FCA					
Chartered Accountant							
Director							
(Non-Executive)							



Name of the Director	DOB/Age	Qualification	No. of Board	Meetings	Member of Board	Share-	Other
& Category	(years)		meetings held	attended	Committees	holding	Director-
			during their				ship (as on
			tenure				31.03.2015)
Shri B. N.	31.05.54	B.A & LLB-I	1	1	Nil	19	N.A.
Bhattacharjee	60 years						
Officer Employee							
(Non-Executive) #							
Shri N. Shankar	20.05.58	B.Sc. & ICWA	1	1	SRC	Nil	N.A.
Workmen Employee	56 years						
(Non-Executive) #							
Dr. Atul Agarwal	02.08.60	B.Com, LLB,	8	4	MCB,ACB,	100	N.A.
Part Time Non-Official	54 years	FCA, ISA(ICAI)			SRC,CSCB,IT, RCB,		
(Non-Executive)		& Ph.D.			SCR & ALM,ESV by		
#					PSBs		
Shri Shrikant Misra	08.03.55	B. Com & CA	18	15	NCB, SCR & ALM,	Nil	Nil
Part Time Non-Official	60 years				MCB, IT,CSCB		
(Non-Executive)							
Sushri Anusuiya	15.06.48	M. A, B.Ed. &	18	18	MCB, SRC,NCB,	Nil	Nil
Sharma	66 years	LLB			CSCB		
Part Time Non-Official							
(Non-Executive)							
Shri D. Chatterji	23.08.48	B.Com.(Hons.)	18	15	MCB, ACB,	200	12
Shareholder	66 years	& CA			CSCB, RCB, SCR &		
(Non-Executive) @					ALM, IT, SRC		
Dr. R. H. Dholakia	02.04.53	Ph.D in	18	16	MCB,HR, CSCB,SCR	200	3
Shareholder	61 years	Economics			& ALM		
(Non-Executive)							
Shri G. K. Lath	20.08.52	B.Com. & FCA	18	13	MCB,CSCB, SCMF,	100	Nil
Shareholder	62 years				ACB, SCR & ALM,		
(Non-Executive)					RCB		

\$ -New Directors Inducted

- 1. Shri Mihir Kumar nominated by Government of India on the Board w.e.f. 25.11.2014 in place of Mohammad Mustafa as Government Nominee Director.
- 2. Shri Kishor Kharat nominated by Government of India on the Board w.e.f. 10.03.2015 as Executive Director.
- @-Chairman of Audit Committee of the Board
- #-Directors who completed their tenure
- 1. Shri B. N. Bhattacharjee term ended on 03.05.2014.
- 2. Shri N. Shankar resigned w.e.f. 27.02.2014 and Gol notification received on 30.04.2014.
- 3. Shri S. K. Jain superannuation on 31.05.2014.
- 4. Dr. Atul Agrawal term ended on 21.09.2014.



CAC - Credit Approval Committee

MCB - Management Committee of the Board

ACB - Audit Committee of the Board

SCR & ALM - Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management

SRC - Stakeholders Relationship Committee of the Board

DPC - Directors' Promotion Committee

DPC (V) - Directors' Promotion Committee - Vigilance/Non-Vigilance

STCB - Share Transfer Committee of the Board

SCMF - Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above

CSCB - Customer Service Committee of the Board

RCB - Remuneration Committee of the Board
NCB - Nomination Committee of the Board
HR - HR Sub Committee of the Board

IT - IT Strategy Committee of the Board

RMC - Recovery Management Committee of the Board

ESV by PSBs - Election of Shareholders Voting by Public Sector Banks.

3.8 Committee Membership of Directors

Shri Rakesh Sethi, Executive Director holds membership/chairmanship of Audit Committee/ Stakeholders Relationship Committee outside the Bank:

UNION KBC AMC Pvt. Ltd.- Member, Audit Committee

Shri D. Chatterji, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee / Stakeholders Relationship Committee outside the Bank:

- 1. Hindusthan National Glass & Industries Ltd. Member, Audit Committee.
- 2. West Bengal Industrial Development Corporation Ltd.-Chairman, Audit Committee.
- 3. West Bengal Infrastructure Development Finance Corporation Ltd.-Chairman, Audit Committee.
- 4. Peerless Financial Services Ltd.- Chairman, Audit Committee.
- 5. TRF Limited.- Chairman, Audit Committee and Member, Stakeholders Relationship Committee.
- 6. Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd.- Member, Audit Committee.
- 7. The Calcutta Stock Exchange Ltd.- Member, Audit Committee.

Dr. R. H. Dholakia, Director holds membership/chairmanship of Audit Committee / Stakeholders Relationship Committee outside the Bank:

- 1. Adani Enterprises Ltd. Member, Audit Committee.
- 2. Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. Chairman, Audit Committee.

3.9 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors are related to each other.



Profile of Directors inducted in the Board after March 31, 2014.

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Kishore Kharat	56	Shri Kishor Kharat has assumed charge as Executive Director of Union Bank of India on 10 th March 2015. In his banking career with Bank of Baroda, spanning over more than three decades, Shri Kharat has got varied exposure which includes Credit Administration, Foreign Business, Information Technology and general administration in India as well as overseas.	10.03.2015	30.09.2018	-
		Shri Kharat established a foreign subsidiary of Bank of Baroda in Trinidad & Tobago, West Indies and headed the same as Managing Director for more than three years He was a founding member in the formation of India Trinidad & Tobago Chambers of Commerce & Industry. His other foreign assignment was at Sharjah (UAE).			
		His last posting was as General Manager, Financial Inclusion Vertical, where he has been the key driver of major FI initiatives for taking forward both the Bank and Government of India commitment to an inclusive growth of the country. He was also looking after the Corporate Credit in the Bank's Corporate Office and also headed Corporate Finance Services, Hyderabad.			
Shri Mihir Kumar	45	Shri Mihir Kumar has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 25th November, 2014.	25.11.2014	till further instructions	-
		Shri Mihir Kumar joined Defence Accounts Service (IDAS) in 1997. In his service career of over seventeen years, Shri Mihir Kumar, has held a number of assignments relating to payment, audit and financial advice of Armed Forces. He was the first Finance Officer of Indian peace keeping Brigade in UN peace keeping force MONUC in Democratic Republic of Congo. Shri Kumar was Joint Director, Training in IDAS Academy-National Academy of Defence Financial Management (NADFM), Pune. He was second in command of the office handling audit and payment of all defence, foreign, oil and other central procurement items involving Defence Budget of about ₹ 50000 Cr. Since 25th October, 2012, he is a Director in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.			



3.11 Annual General Meeting:

The Twelfth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Friday, 27th June, 2014 where the following directors were present:

1. Shri Arun Tiwari	- Chairman & Managing Director
2. Shri K. Subrahmanyam	- Executive Director
3. Shri Rakesh Sethi	- Executive Director
4. Shri Jag Mohan Sharma	- Director-Chartered Accountant
5. Shri Dipankar Chatterji	- Shareholder Director & Chairman, Audit Committee of the Board

4. COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of the Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India and the latest direction received from The Ministry of Finance, Gol in terms of their letter no. F.No.13/1/2006 BO.I dated 10.06.2014, the Audit Committee of the Board of Directors (ACB) has been constituted with six Directors viz. Executive Directors (2), Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and two Shareholder Directors Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director who is a Chartered Accountant chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

The Audit Committee of the Board reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

- ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
- ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
 - Inter-branch adjustment accounts
 - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
 - Arrears in balancing of books at various branches
 - Frauds
 - All other major areas of housekeeping.

- ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of other guidelines of RBI and quarterly reports on compliance of listing and other SEBI guidelines.
- Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
- ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.
- ACB reviews the mechanism for whistle blower annually.
- 7. Review of all Financial Policies of the Bank.
- Major accounting entries based on exercise of judgment by management.
- 9. Qualifications, if any, in draft Audit Report.
- Significant adjustments arising out of audit, compliance with Accounting Standards.
- 11. Going Concern Assumption.
- Default in payment to depositors, shareholders (dividend) & creditors (Where there is delay in payment.)

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 11 times during the year 2014-15 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Atul Agarwal, Chairman of the Committee	3	2
Shri Dipankar Chatterji, Chairman of the Committee	8	8
Shri S.K.Jain, ED	2	2
Shri K.Subrahmanyam, ED	11	11
Shri Rakesh Sethi, ED	11	11
Shri Kishor Kharat, ED	1	1
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee	7	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee	4	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee	11	10
Shri Jag Mohan Sharma, CA Director	3	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	8	5



4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1 Composition:

Pursuant to the amendments made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank's (Management & Miscellaneous Provisions Scheme) 1970/1980 and subsequent amendments resting with their notification no. 13/1/2006 BO-I dated 14.01.2015, the Management Committee of the Board now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, RBI Nominee Director, and three other Non-Executive Directors under Section 9(3) (e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.2.2. Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

4.2.3. Attendance of MCB Meetings

During the year 2014-15, 26 meetings of Management Committee of the Board were held and attendance details are as under:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	26	26
Shri S. K. Jain, ED	4	4
Shri K. Subrahmanyam, ED	26	26
Shri Rakesh Sethi, ED	26	22
Shri Kishor Kharat, ED	2	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	26	25
Shri Jagmohan Sharma, C.A Director	20	20
Dr. Atul Agarwal, Part -time Non -Official Director	7	5
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	13	10
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	13	12
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	13	12
Shri S. K. Mishra, Part Time Non Official Director	13	8
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non official Director	14	14

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1. Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominee of Government of India and four Non-Executive Directors The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.3.2. Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.3. Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominnee Director	2	0
Dr. Atul Agrawal, Part time Non Official Director	1	0
Shri S. K. Mishra, Part Time Non-Official Director	4	3
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	4	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	1

4.4 Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC)

4.4.1 Composition:

In keeping with the amendment to Clause 49(VIII) (E) (4) of the Listing Agreement, the Shareholders' /Investors' Grievance Committee of the Board is renamed as Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC) w.e.f 05.01.2015. The Committee consists of Executive Directors and Three Non-Executive Directors The Chairman of the Committee is Shri Jag Mohan Sharma a Non-Executive Director (CA Category).



4.4.2 Functions:

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, a Stakeholders Relationship Committee of the Board (SRC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders' and investors' complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

4.4.3 Attendance of SRC

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr Atul Agarwal, Chairman of the Committee	2	1
Shri Jag Mohan Sharma, Chairman of the Committee	2	2
Shri S.K.Jain, ED	1	1
Shri K.Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Shri Kishor Kharat, ED	1	1
Shri D. Chatterji, Shareholder Director	4	3
Sushri Anusuiya Sharma, Part time Non Official Director	4	4

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2015 vis-à-vis 31.03.2014 is as under:-

	Particulars	For F.Y. ended 31.03.15	For F.Y. ended 31.03.14
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	766	1377
C.	No. of shareholders complaints resolved during the year	766	1377
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Ms. Neha Agrawal, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The Committee consists of Chairman & Managing Director, Executive Director/s, General Manager/Deputy General Manager (MDO), and Chief Law Officer.

4.5.2 **Functions**:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc and met 46 times.

4.6 Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of Fraud of ₹ 1.00 crore and above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of ₹ 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide RBI/2004.15. DBS.FGV (F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14.01.04. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of ₹ 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.



- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	4	4

4.7 Customer Service Committee of the Board (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India. It was constituted in terms of the Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of ten members as under:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors
- Two Directors representing customer interest.
- Three Non-Executive Directors
- Govt. Nominee Director is a permanent member.
- Two representatives of Customers as special invitees.

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestions on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.

 To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	4
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	0
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	1	0
Shri S. K. Misra, Part Time Non Official Director	4	3
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non Official Director	2	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	4
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	4	2
Shri Dipankar Chatterji, Shareholder Director	4	3

4.8 Remuneration Committee of the Board (RCB)

Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20/1 /2005-BO.I dated 9th March, 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- · Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned Gol guidelines.



4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met twice during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure (25.07.14)	No. of meetings attended (25.07.14)	No. of Meetings held during their tenure (26.02.15)	No. of meetings attended (26.02.15)
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director, Chairman of the Committee	1	1	N.A	N.A
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director, Chairman of the Committee	N.A	N.A	1	1
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1	1	1
Dr. Atul Agarwal, Part Time Non Official Director	1	1	N.A	N.A
Shri D.Chatterji, Shareholder Director	1	0	1	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	0	0	1	1

4.9 Nomination Committee of the Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks vide circulars DBOD No. BC No.46 and DBOD No.BCNo.47/29.39.001/2007-08 both dated 01.11.2007 read with No.DBOD.No.BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011.

Further, Government of India vide Office Memorandum No. 16/83/2013-BO.I dated 03.09.2013 has desired that the Government guidelines dated 01.06.2011 regarding appointment of part-time non-official directors to be kept in mind while carrying out "Fit and Proper" status of candidates for election of shareholder directors The above guidelines have been further revised vide Notification F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015.

Banks are required to constitute Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under Section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 **Composition:**

- Three Non-Executive Directors
- In terms of RBI letter No.12558/08.21.006/2010-11 dated 08.02.2011 RBI Nominee Directors cannot be associated with this Committee.

4.9.2 Functions:

 To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors.

- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/ persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met once during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Mohd Mustafa, Chairman of the Committee	1	1
Shri Shrikant Mishra, Part Time Non Official Director	1	1
Sushri Anusuiya Sharma, Part Time Non Official Director	1	1

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- · Chairman and Managing Director
- Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 **Functions:**

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

The DPC-Promotion Committee met once during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	1	1
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	1	1



4.11 Directors Promotion Committee - Vigilance/Nonvigilance

4.11.1 Composition:

- · Chairman and Managing Director
- · Government of India Nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these Committee meetings.

4.11.2 **Functions:**

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC -Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held 3 meetings during the year 2014-15 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	3	3
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	1	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	2
Shri Deepak Singhal, RBI Nominee Director	3	3

4.12 HR Sub-Committee of the Board

4.12.1 Composition

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Directors and any two Directors In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

4.12.2 **Functions:**

To oversee & review the implementation of following aspects:

- 1. Overall Strategy for the Bank on HR.
 - Overall manpower plan and skills gap identification.
 - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
- 2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
 - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
 - System of providing developmental feedback to all staff.
- Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities.
 - · Reward and incentives
 - Promotions
 - Deployment

Training

- Specialist business skills training
- General retaining / reorientation for all staff
- 5. IT automation of all HR related activities

4.12.3 Attendance of HR Sub-Committee of the Board

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	2
Shri Rakesh Sethi, ED	4	4
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	1
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	1
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	4

4.13 IT Strategy Committee of the Board

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board.

4.13.1 Composition

The Committee consists of:

- Executive Directors
- Two Independent Directors- one of whom will be the Chairman of the meeting
- Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

4.13.2 Functions

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.



- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance. (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a banklevel, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.

4.13.3 Attendance of IT Strategy Committee of the Board

The Committee has held 5 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. Atul Agarwal, Chairman of the Committee	3	3
Shri S. K. Misra, Chairman of the Committee	2	2
Shri S. K. Jain, ED	2	2
Shri K. Subrahmanyam, ED	5	5
Shri Rakesh Sethi, ED	5	5
Shri Kishore Kharat, ED	1	1
Shri D. Chatterjee, Shareholder Director	5	5

4.14 Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors – Voting by Public Sector Banks (ESV by PSBs)

The Government of India who is a major shareholder does not participate in the election process as specified by notification of Ministry of Finance vide its letter No.16/11/2012-BO-I dated 3rd April, 2012. As such the ministry has advised the Banks to constitute a Committee of the Board headed by CMD. The communication further states that the Committee would not include Government or the RBI Nominee Directors

4.14.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Directors

Two other members as may be nominated by the Board

4.14.2 **Functions:**

Terms of Reference- Consider all factors including qualification, experience, profile and background of various candidates and take decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

4.14.3 Attendance of Committee of the Board to decide on election of Shareholder Directors –Voting by Public Sector Banks.

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2014-15.

4.15 Recovery Management Committee (RMC)

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per GOI communication no. F.No.7/112/2012-BOA dated 21st November, 2012 on the above subject on 27.11.2012.

It has also been stated that Public Sector Banks (PSBs) should constitute a Board level Sub-Committee consisting of CMD, EDs and GOI Nominee Director to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

4.15.1 Constitution:

The composition of the Committee is:

- Chairman & Managing Director
- Executive Director(s)
- Government of India Nominee Director

4.15.2 **Functions:**

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

4.15.3 Attendance of Recovery Management Committee

The Committee has held 4 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	4	4
Shri S. K. Jain, ED	1	1
Shri K. Subrahmanyam, ED	4	2
Shri Rakesh Sethi, ED	4	3
Shri Kishor Kharat, ED	1	1
Mohammad Mustafa, Govt. Nominee Director	2	2
Shri Mihir Kumar, Govt. Nominee Director	2	2



4.16 Credit Approval Committee-I (CAC-I)

As per the provisions contained in Ministry of Finance, Department of Financial Services Gazette Notification No. SO.2736 (E) dated 5th December, 2011 the Board in its meeting held on 24.01.2012 has approved the constitution of Credit Approval Committee at Central Office. CAC - I (Credit Approval Committee-I) is operational with effect from April, 2012.

4.16.1 Constitution:

The composition of CAC-I is as under;

- Chairman & Managing Director (Mandatory)
- Executive Directors (at least one Mandatory)
- General Managers- Credit
- General Manager- Financial Planning & Investors Relations (CFO)
- General Manager -Risk Management (Mandatory)

4.16.2 **Functions:**

- Sanctioning of Credit proposals, Funded/Non Funded
- Loan Compromise/write off proposals

4.16.3 Attendance of Credit Approval Committee-I

The Committee has held 34 meetings during the year 2014-2015 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman	34	34
Shri S. K. Jain, ED	6	5
Shri K. Subrahmanyam, ED	34	28
Shri Rakesh Sethi, ED	34	29
Shri Kishor Kharat, ED	3	3
Attendees by Designation		
GM (RMD)	34	29
CFO	34	30
GMs (Credit)	34	34

5. **GENERAL BODY MEETINGS:**

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Extraordinary	20th March,	Rama Watumull
General Meeting	2012	Auditorium, K. C.
	at 11.00 a.m.	College, Dinshaw
		Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.
Extraordinary	26 th June,	Rama Watumull
General Meeting	2012	Auditorium, K. C.
	at 10.30 a.m.	College, Dinshaw
		Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Tenth Annual	26 th June,	Rama Watumull
General Meeting	2012	Auditorium, K. C. College,
	at 3.30 p.m.	Dinshaw Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.
Extraordinary	16 th March,	Rama Watumull
General Meeting	2013	Auditorium, K. C. College,
	at 10.00 a.m.	Dinshaw Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.
Eleventh Annual	26 th June,	Rama Watumull
General Meeting	2013	Auditorium, K. C. College,
	at 3.30 p.m.	Dinshaw Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.
Extraordinary	14 th December,	Rama Watumull
General Meeting	2013 at 10	Auditorium, K. C. College,
	a.m.	Dinshaw Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.
Twelfth Annual	27 th June,	Rama Watumull
General Meeting	2014 at 11.00	Auditorium, K. C. College,
	a.m.	Dinshaw Wachha Road,
		Churchgate,
		Mumbai – 400 020.

The details of special resolutions placed for approval in the General Meetings are as under:

5.1 Extraordinary General Meeting held on 20th March, 2012 Special resolutions:

- a) to create, offer, issue and allot up to 1,43,11,631 (One Crore Forty Three Lakh Eleven Thousand Six Hundred Thirty One) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 355 crore (Rupees Three Hundred Fifty Five Crore Only) on preferential basis to Government of India and
- b) to create, offer, issue and allot up to 2,62,16,620 (Two Crore Sixty Two Lakh Sixteen Thousand Six Hundred Twenty) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 248.05 in accordance with Regulation 76(4) of SEBI (ICDR) Regulations and aggregating up to ₹ 650.30 crore (Rupees Six Hundred Fifty Crore and Thirty Lakh Only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC).Pursuant to the above resolution the Bank had received application money only from LIC and 2,62,16,620 shares have been issued and allotted to LIC of India on 30th March, 2012

5.2 Extraordinary General Meeting held on 16th March, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)



To create, offer, issue and allot up to 4,62,45,174 (Four Crore Sixty Two Lac Forty Five Thousand One Hundred Seventy Four) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at ₹ 240.89 in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 1,114 crores (Rupees One Thousand One Hundred Fourteen Crore) on preferential basis to Government of India

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/ or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from Gol and 4,62,45,174 (Four crore sixty two lacs forty five thousand one hundred and seventy four) shares have been issued and allotted to Gol on 21st March, 2013.

The Second Resolution was for extending the time for another one year to enable the Bank to raise capital through QIP within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

5.3 Extraordinary General Meeting held on 14th December, 2013.

Special resolutions:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)

a) To create, offer, issue and allot up to 3,35,12,064 (Three crores thirty five lacs twelve thousand sixty four) equity shares of ₹ 10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 500 crores (Rupees Five Hundred Crore only) on preferential basis to Govt. of India

b) To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 each into 74,39,678 (Seventy four lacs thirty nine thousand six hundred seventy eight) equity shares of ₹ 10/each at conversion price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 111 crores (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement (QIP)

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/ or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions the Bank has received application money from GoI and 3,35,12,064 (Three Crore thirty five lacs twelve thousand and sixty four) equity shares have been issued and allotted to GoI on 21st December, 2013.

For Conversion of PNCPS, the Bank had not received necessary approval from Gol till the AGM held on 27th June, 2014 and hence, approval of shareholders was again sought in the said AGM to create, issue and allot equity shares by conversion of PNCPS on preferential basis to Gol.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorizing the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and in such tranche(s) that would be in the interest of the



Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

5.4 Annual General Meeting held on 27th June, 2014 Special resolutions:

To Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to the Government of India (Gol)

To create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 /- each into 5472563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion price of ₹ 202.83 including premium of ₹ 192.83 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto ₹ 111 crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

2. To Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement

To create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 crores (Rupees One Thousand Three Hundred Eighty Six crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/ or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.

Pursuant to the above resolutions on 12.09.2014 the Bank has allotted 54,72,563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹10/- each at a conversion Price of ₹202.83 per equity share (including premium of ₹192.83 per equity share) in favour of Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) amounting to ₹111 crore (Rupees one hundred and eleven crore) held by Government of India.

The Second Resolution enables the Bank to raise capital through QIP within a period of one year by way of a special resolution authorizing the Board to raise capital by way of QIP to QIBs within a period of one year from passing of this Resolution at such time(s) and

in such tranche(s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank. So far the Bank has not raised any capital under the said resolution.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to nonmandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of travelling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees are prescribed in terms of clause 17(1) / 16(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980. Accordingly, Non-Official Directors are entitled for the following facilities and perks:

1. Sitting Fees (Notification No.15/1/2011-B.O.I dt. 18/10/2011):

Board Meetings - ₹ 10,000/- per meeting.

Committee Meetings - ₹ 5,000/- per meeting.

2. Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses in terms of the provisions of clauses 17(2) / 16(2), if any, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that



may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review, the Bank allotted 54,72,563 (Fifty four lacs seventy two thousand five hundred and sixty three) equity shares of ₹ 10/- each at a conversion Price of ₹ 202.83 per equity share (including premium of ₹ 192.83 per equity share) in favour of Government of India by conversion of entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) amounting to ₹ 111 crore (Rupees one hundred and eleven crore) held by Government of India. Consequently, the Government's shareholding has increased from 60.13% to 60.47%. Post conversion, the paid-up capital of the Bank increased to ₹ 635.78 crore from ₹ 630.31 crore.

The coversion was done with the primary objective of augmenting capital for strengthening Capital Adequacy Ratio, particularly Common Equity Tier 1 (CET1) Ratio.

The Bank has issued Unsecured Non convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II Capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.1 of the report.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Policy for determining Material Subsidiary

In compliance with Clause 49 (V) (D) of the Listing Agreement, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/MaterialSubsidiaryPolicy.pdf

vii. Related Party Transaction Policy

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link http://www.unionbankofindia.co.in/pdf/RelatedPartyTransactionPolicy.pdf

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website - www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 The Bank's equity shares are listed on the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

Bombay Stock Exchange Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for the financial year 2015-16 has been paid to the Stock Exchanges before 30th April, 2015.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2015 are as under:

SERIES	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100



SERIES	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.95 AFTER 10 th YR	INE692A09118
X-IIND TRANCHE UPPER TIER - II	750	16.10.2006	16.10.2021	8.95 WITH STEP UP TO 9.45 AFTER 10TH YR	INE692A09126
XI-LOWER TIER-II, Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI-IInd TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UPTO 10YRS STEP UP TO 10.40 AFTER 10 th YR	INE692A09142
XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15 UPTO 10 YRS STEP UP TO 11.65 AFTER 10 TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2008	9.50	INE692A09175
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.60 AFTER 10 TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09191
XIV-A PERPETUAL	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.35 AFTER 10 [™] YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.15 AFTER 10 TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER II	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55 UPTO 10 YRS STEP UP TO 9.05 AFTER 10 TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09225
XV-A UPPER TIER II	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48 UPTO 10 YRS STEP UP TO 8.98 AFTER 10 TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09233
XVI-B LOWER TIER	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90	INE692A09241
XVII-A	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80	INE692A09266
TOTAL	8540				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2015-16 to the Stock Exchange on or before 30th April 2015.

8.3 Dividend

A dividend of 60% i.e. $\stackrel{?}{<}$ 6/- per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2014-15 in its meeting held on 12th May, 2015.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and	12 th May, 2015
Dividend	
Date, Time & Venue of AGM	26th June, 2015 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium,
	K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 29 th May, 2015
Dates of Book Closure	20 th June, 2015 to 26 th June, 2015
Date of payment of dividend	6 th July, 2015

8.4.2 Financial Calendar

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2015-16 is given below:



Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2015	By August 01, 2015
For the quarter ending September 30, 2015	By October 31, 2015
For the quarter ending December 31, 2015	By January 28, 2016
For the year ending March 31, 2016	By May 12, 2016

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfer of shares are duly effected within a period of 15 days from the date of their lodgment with proper documents. The Bank has constituted Stakeholders Relationship Committee to monitor and review the progress in redressal of stakeholders grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters.

The Bank has appointed **M/s. Datamatics Financial Services Limited** as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of Shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrar & Transfer Agent at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint/grievances. Designated e-mail ID in terms of clause 47(f) of the listing agreement is **investorservices@unionbankofindia.com**.

Registrar & Transfer Agent

Datamatics Financial Services Ltd. Plot No.B-5, Part B, Crosslane, MIDC, Marol, Andheri (E), Mumbai-400 093. Tel-(022) 66712151-60

E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Investor Services Division

Union Bank of India 12th Floor, Central Office, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021. Tel-(022) 22896643/36 Fax-(022) 22025238

E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

Also, the Bank has placed a list of frequently asked questions (FAQs) about investor services like change of details, transfer/ transmission and issue of duplicate shares certificates/dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other communications

Fax-(022) 28213404

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

- i. Half-yearly performance
- ii. Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

8.6 Dematerialisation of shares

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE692 A01016.

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31st March, 2015 are as under:-

	No. of shareholders	No. of shares	% shareholding
Physical	61,774	1,37,02,216	2.15
Demat			
NSDL	1,04,436	22,16,30,983	34.86
CDSL	68,704	40,04,45,637	62.99
Total	2,34,914	63,57,78,836	100.00

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit no discrepancy



in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 Electronic Clearing Service / Direct Credit to Union Bank Account

National Automatic Clearing House (NACH) is a web based solution to facilitate interbank, high volume, electronic transactions and can be used for making bulk transactions towards distribution of subsidies, dividends, interest, salary, pension etc. The Bank offers the service of NACH to the shareholders to get credit to the bank account of the shareholder concerned. In the absence of NACH facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on the payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.


The dividend mandate form is available on the website of the Bank <u>www.unionbankofindia.co.in</u> and is also enclosed in this Annual Report as well.

The shareholders are requested to update their correct and complete account number with Registrar & Transfer Agent of the Bank or Depository Participant (DP) as the case may be for smooth credit of dividend amount to their accounts. In case of non availability of correct and complete account number the Bank has to issue physical dividend warrants printing therein account details as provided by the shareholders.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE				NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos)	High	Low	
April '14	160.45	133.00	1,14,91,057	160.60	132.55	10,05,12,515	22939.31	22197.51	
May '14	238.00	132.30	2,18,00,756	238.00	132.40	16,51,52,665	25375.63	22277.04	
June '14	259.60	206.90	1,45,56,221	259.65	206.50	11,89,69,197	25725.12	24270.20	
July '14	244.20	181.80	1,13,98,167	243.90	181.45	9,41,84,208	26300.17	24892.00	
Aug '14	224.65	185.80	1,25,54,941	224.75	185.60	10,64,57,875	26674.38	25232.82	
Sept'14	225.25	182.30	1,25,00,740	225.30	182.40	9,71,58,451	27354.99	26220.49	
Oct '14	233.70	185.50	1,01,26,659	233.80	185.35	750,06,606	27894.32	25910.77	
Nov '14	228.70	200.15	96,43,371	228.90	200.10	6,84,66,323	28822.37	27739.56	
Dec '14	243.90	204.15	1,61,63,936	243.80	204.00	10,87,05,541	28809.64	26469.42	
Jan '15	253.50	206.05	1,02,33,377	253.50	205.95	8,54,36,414	29844.16	26776.12	
Feb '15	214.15	165.60	1,64,85,609	253.50	205.95	8,54,36,414	29560.32	28044.49	
Mar '15	182.15	154.35	1,19,63,958	183.00	154.10	6,45,80,106	30024.74	27248.45	
As on 31.03.2015 Closing Price		₹ 156.70			₹ 156.50				
Market Capitalization		₹ 9962.65 cr	ore		₹ 9949.94 c	rore			





Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

8.9 Distribution of Shareholding

The Government's shareholding in the Bank is 38.44 crore shares aggregating to ₹ 384.44 crore in the total issued capital of ₹ 635.78 crore. The distribution of shareholding as of 31/03/2015 and as of 31/3/2014 is as under:

Shareholding	As of 31/03/2015					As of 31,	/03/2014	
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
upto 500	210801	89.74	29770207	4.68	213156	89.20	30611515	4.86
501 to 1000	17863	7.60	12061635	1.90	18899	7.91	12771381	2.03
1001 to 2000	4036	1.72	5664760	0.89	4296	1.80	6052568	0.96
2001 to 3000	879	0.37	2198122	0.35	1015	0.42	2545714	0.40
3001 to 4000	328	0.14	1174881	0.18	387	0.17	1373764	0.22
4001 to 5000	179	0.08	829214	0.13	246	0.10	1145975	0.18
5001 to 10000	338	0.14	2448183	0.39	415	0.17	2946654	0.47
10001 & above	490	0.21	581631834	91.48	544	0.23	572858702	90.88
Total	234914	100.00	635778836	100.00	238958	100.00	630306273	100.00

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

8.10 Shareholding pattern

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31/03/2015 and as of 31/03/2014 was as follows:-

Category of shareholder	As of 31/03	/2015	As of 31/03/2014		
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding	
Govt. of India	38,44,44,316	60.47	37,89,71,753	60.13	
Non-Residents (FIIs/OCBs / NRIs)	5,54,14,933	8.72	5,41,30,826	8.59	
Banks/Financial Institutions/Insurance Cos.	7,38,22,366	11.61	7,02,67,222	11.15	
Mutual Funds/UTI	4,22,85,093	6.65	3,45,05,926	5.47	
Domestic Companies/ Private Corporate Bodies/ Trusts	2,33,89,452	3.68	3,31,54,868	5.26	
Resident Individuals	5,64,22,676	8.87	5,92,75,678	9.40	
Total	63,57,78,836	100.00	63,03,06,273	100.00	



List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2015 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	PRESIDENT OF INDIA	384444316	60.47
2	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	68222093	10.73
3	HDFC TRUSTEE COMPANY LTD - A/C HDFC MID - CAP OPPORTUNITIES FUND	20572658	3.24
4	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	7234026	1.14
5	GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL	7049911	1.11
6	ICICI PRUDENTIAL BALANCED ADVANTAGE FUND	5786256	0.91
7	UTI-MID CAP FUND	4082357	0.64
8	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM MANAGED BY ARROWSTREET CAPITAL, L.P.	3919034	0.62
9	DSP BLACKROCK INDIA T.I.G.E.R. FUND	2937238	0.46
10	MACQUARIE EMERGING MARKETS ASIAN TRADING PTE. LTD.	2932000	0.46
	TOTAL	507179889	79.78

8.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said Fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said Fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016
Dividend for 2009-10	55%	09.08.2017
Dividend for 2010-11	80%	08.08.2018
Dividend for 2011-12	80%	06.08.2019
Dividend for 2012-13	80%	06.08.2020
Interim Dividend 2013-14	27%	14.02.2021
Final Dividend 2013-14	13%	08.07.2021

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

8.12 Unclaimed Shares:

a) In Demat Form:

As per Clause 5A of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March' 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2014 lying in Demat Suspense Account	233	28781
Shareholders approached for transfer during the financial year 2014-15	Nil	Nil
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2014-15	Nil	Nil
Balance as on 31.03.2015 lying in Demat Suspense Account	233	28781

The voting rights on above mentioned 28,781 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.



b) In Physical Form:

As per Clause 5A-II of the listing agreement i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares in physical form, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2014 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2014-15	Nil	Nil
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2014-15	Nil	Nil
Balance as on 31.03.2015 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

9. EXTENT OF COMPLIANCE WITH NON-MANDATORY REQUIREMENTS OF LISTING AGREEMENT

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1.	Board A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	applicable as it relates to maintenance of office by a
2.	Shareholder Rights A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders	
3.	Audit Qualifications Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence complied with.
4.	Separate posts of Chairman and CEO The company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director/CEO.	Not applicable. Appointment of Chairman & Managing Director done by Government of India.
5.	Reporting of Internal Auditor The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed in the meeting of Audit Committee.

10. DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2014-15.

For Union Bank of India

(Arun Tiwari)

Chairman and Managing Director

Place: Mumbai Date: 12th May, 2015

